स्वतंत्रता

स्वतंत्रता क्या है?

स्वतंत्रता को समझने के लिए सबसे सिम्पल, सबसे प्रचलित स्वतंत्रता की परिभाषा लेते हैं।

'कोई व्यक्ति वहीं तक स्वतंत्र है, जहाँ से दूसरे की नाक शुरु होती है।'

सुनने में अच्छी लगती है, याद करने में आसान है, ज्यादातर समाधान इस परिभाषा से हो जाते है। रोजमर्रा के काम- काज में काम चलाने लायक है।

अब इस परिभाषा को लें तो एक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए यदि वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न डाल रहा हो। इस परिभाषा के अनुसार वो नंगा होकर घूम सकता है, नाच- गा- खाना- पीना जो कुछ भी वो चाहे कर सकता है, उसे रोकने का अधिकार किसी को नही है, जब तक कि उससे किसी को परेशानी न हो। अब आपको परेशानी हो सकती है उसके नंगा होकर घूमने में, क्योकिं आपको ऐसे पुरुष या स्त्री को देखने की आदत नही है। कुछ लोग तो स्त्रियों को बिना पर्दे के भी घूमने की इजाजत नही देना चाहते।

अब ये भी कहा जा सकता है कि कभी घूंघट उठाना भी सही नही समझा जाता था। सर से पल्लू उठाना भी सही नही समझा जाता था, लेकिन आज वही गलत हो गया है और आधे से ज्यादा शरीर का खुला होना समाज में एक्सेप्टेबल है। तो इस समय समाज में कुछ स्त्रियों द्वारा हो रहे स्तन का प्रदर्शन भले ही आज एक्सेप्टेबल न हो पर धीरे- धीरे वो भी एक्सेप्टेबल हो जायेगा। फिर शायद उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए लोग अपने अंतिम गुप्तांग का भी प्रदर्शन करना चाहें, तो शुरु में वो भी न स्वीकार्य हो पर बाद में स्वीकार्य हो जायेगा। इससे ज्यादा तो कोई कुछ नही कर सकेगा। तो जो जैसे भी कपड़े पहनना चाहे, जिस भी अवस्था में समाज में घूमना चाहे, उसे घूमने दो, समाज धीरे- धीरे उसे स्वीकार कर लेगा। और एक आखरी अवस्था के आने में कुछ ज्यादा तो बचा नही है, वो भी हो ही जाये। उसके बाद तो लोग रुक जायेगें। ये बहस ही उसके बाद समाप्त हो जायेगी, नही तो जिन्दगी भर बहस चलती रहेगी क्या पहने, क्या न पहने?

तो ये जायज परेशानी नही है, बहुत से लोगों की नजरों में। हाँ यदि वो आपको नंगा कर रहा हो तो जरुर ये परेशानी हो सकती है। और ऐसा करने से पहले नाक बीच में आ जाती है, तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नही कर सकता। पर आगस्टीन या मोस्ट प्राबेबली हीगल ने एक सवाल उठाया कि यदि कोई बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती या आग को छूने जा रहा है तो क्या उसे ये छूट दी जा सकती है? क्योंकि अब तो वो किसी की स्वतंत्रता में बाधा नही पहुँचा रहा है।

इस सवाल के जवाब में यदि कोई पूर्वाग्रह से न ग्रसित हो तो सभी का जवाब ना ही होगा। यहीं ये परिभाषा गलत हो जाती है।

अब मैं अपनी परिभाषा देता हूँ, मेरी परिभाषा के अनुसार -

'एक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए, यदि उसने उस विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया हो (वयस्क हो), वह दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न कर रहा हो, तथा जिसके ऊपर आश्रित है तथा अपने ऊपर बनाये हुए आश्रित व्यक्ति के बीच हुए समझौते का व उसके हितों (उसकी स्वतंत्रता) का पूरा ध्यान रख रहा हो।'

यहाँ आश्रित बनाए हुए व्यक्ति से तात्पर्य ये है कि जैसे आप शादी करके अपनी पत्नी को लाते हैं, आप बच्चे अपनी इच्छा से पैदा करते हैं, तो पत्नी और बच्चों को आप ने अपने ऊपर आश्रित बनाया है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी यदि आप अपनी इच्छा से वहन करते हैं तो आपने उसको अपने ऊपर आश्रित बनाया है। तथा यदि वो किसी के ऊपर आश्रित है तो जिन शर्तो के अधीन वो आश्रित है, उनका पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। वयस्क होने पर ही वो शर्ते लागू हो सकती हैं, जो आप आश्रित होने की स्थिति में समझौता करते हैं। अवयस्क के लिए समाज द्वारा बने नियम का पालन करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति अन्य किसी पर आश्रित न हो, तो भी समाज पर तो आश्रित होता ही है।

हो सकता है आप मेरे स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों से सहमत न हों, इसलिए मुझे आपको संतुष्ट करना होगा। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि किसी व्यक्ति के संदर्भ में उसका औचित्य क्या है? स्वतंत्रता के पूर्व दो स्थितियाँ हो सकती हैं - पहली परतंत्रता की दूसरी स्वच्छंदता की। परतंत्रता का अर्थ है दूसरे का शासन। आपकी इच्छा पर दूसरों का शासन हो, आप कोई भी कार्य अपनी इच्छा से, अपने लिये न करके दूसरों की इच्छा से, दूसरे के लिए करें। इस स्थिति में आप अपना विकास नहीं कर सकते और ये स्थिति, उम्मीद करता हूँ कोई नही चाहेगा। यदि आप परतंत्रता को सही समझते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जिसने आपके साथ मनमानी की या आपको अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करने पर बाध्य किया, गाली नही दी होगी, उसे गलत नही कहा होगा। उस समय को भी नही कोसा होगा जब हम गुलाम हुआ करते थे। ये वो स्थिति है कि यदि इस स्थिति में कोई आपके साथ रेप कर दे या आपको मारे-पीटे तो भी जायज है। और अच्छी तरह समझना चाहते है तो रहिए किसी का गुलाम बन कर, फिर अनुभव आपको खुद ही बता देगा क्या गलत है और क्या सही? तो मेरे ख्याल से परतंत्रता कोई नही चाहता।

दूसरी स्थिति है स्वच्छंदता की। अर्थात् किसी व्यक्ति को कुछ भी करने की छूट दे दी जाए, जो उसकी इच्छा हो, जो उसमें सामर्थ्य हो, उसके अनुसार वो कुछ भी कर सके। इस स्थिति में कई स्थितियाँ ऐसी आयेगीं, जब वो दूसरों के साथ- साथ अपना भी अहित कर बैठेगा। हालाकिं ये ईश्वर का शासन है और ईश्वर ने आपकों स्वच्छंद ही पैदा किया है। जैसे किसी को स्वच्छन्द कर दिया जाए तो अपने स्वार्थ या इच्छा के लिए वो अपने से कमजोर को मारने या सताने लगेगा, जैसा कि हजारों सालों से होता चला आया है। और कभी उससे ज्यादा बलिष्ठ व्यक्ति उसे मिल जायेगा तो वो उसे मारेगा, सतायेगा। फिर तो सभी के सहअस्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते। फिर तो प्राकृतिक राज या ईश्वर का शासन या जंगल राज कायम हो जायेगा। जो शक्तिशाली होगा, उसी का अस्तित्व रह जायेगा, वही सत्ता का उपभोग करेगा। मगर ऐसा समाज हम नही चाहते। ऐसा समाज हमें मिल चुका है, मगर हम उसे छोड़ कर आगे आ चुके हैं। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ सभी का अस्तित्व हो, सभी की सुरक्षा हो, सभी का

विकास हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमें किसी को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ती है। स्वच्छंदता पर लगी हुई इतनी ही परतंत्रता या अंकुश लाभप्रद है और वही स्वतंत्रता बनाती है। हाँलाकि कार्ल मार्क्स के शब्दों में 'ईश्वरीय नियम को या ईश्वर के इस नियम को बदल पाना सम्भव नही और वो अपना रुप बदल कर अन्य कार्यो या नियमों में परिलक्षित होती रहेगी'। पर फिर भी इस शासन को क्योंकि हम नही चाहते इसलिए कुछ और नियम बनाने या इस नियम में परिवर्तन की मांग हम करते रहे हैं और उन्हीं का परिणाम है कि जंगल राज छोड़कर हम मानवीय नियम के अधीन अपने लिए कानून बना कर हम उसके तहत जीना ज्यादा पसंद करते हैं। अर्थात् स्वच्छन्दता पर कुछ इतने नियंत्रण लगा दिए जायें कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सम्भव हो सके, हर व्यक्ति का विकास सम्भव हो सके तथा वो अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने की उसे इतनी छूट दी जाये कि वो दूसरों का अहित न करते हुए अपनी सुरक्षा व अपना पूर्ण व सवार्गीण विकास कर सकें और इसी संदर्भ में मैने अपनी स्वतंत्रता सम्बन्धी ऊपरोक्त परिभाषा दी है।

अब इस परिभाषा की कसौटी पर कई चीजों को कसते हैं।

पहला क्या किसी भी बच्चे को कुछ भी करने की छूट दी जा सकती है? मान लीजिये वो एक जलती मोमबत्ती छूने जा रहा है, तो दूसरों को वो कोई हानि नहीं पहुँचा रहा है, तो उसे स्वतंत्रता दी जा सकती है। तो आप भी कहेंगें, नही। वो नही जानता कि वो अपना क्या अहित कर रहा है, इसलिए उसे स्वतंत्रता नही दी जा सकती। मैं भी यहीं कहूंगा कि उसे स्वतंत्रता नही दी जा सकती, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव है। अर्थात किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की स्वतंत्रता तभी दी जा सकती है जब उसने उस कार्य को करने के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो आप कहेगें ज्ञान तो जीवन पर्यन्त आदमी प्राप्त करता रहता है, तो क्या जीवन भर उसे स्वतंत्रता न दी जाए। तो मैं कहूंगा नही, एक व्यक्ति की शिक्षा-दीक्षा मुख्यत: वयस्क होने तक चलती है। मैने भी इतनी ही उम्र तक शिक्षा की व्यवस्था की है और यदि कोई नही भी पढ़ता है या अनपढ़ गंवार लोगों के लिए, जो स्कूल न जा सकें हो, तो उसे भी समाज के साथ रहते-रहते वयस्क होने तक इतना ज्ञान हो ही जाता है कि उसे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है या वो दूसरों की बातों को समझने लायक हो जाता है। इसके साथ ही इस उम्र तक अपनी सुरक्षा करने की शारीरिक क्षमता का भी उसमें पूर्ण विकास हो जाता है। तो एक समय सीमा, एक उम्र निश्चित की जा सकती है कि वयस्क होने के बाद एक व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, यदि वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न डाल रहा हो । इस सन्दर्भ में एक गरीब जो समाज के साथ रह रहा हो, पढ़ा लिखा न हो, उसे तो ये स्वतंत्रता दी जा सकती है, लेकिन जंगली को ये स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, क्यों कि वो समाज के बीच नही रहा है, वो उन अनकहे नियम कानूनों को नही जानता, जो विकास के इस क्रम में स्वत: ही एक अनपढ़ व्यक्ति पर हावी हो जाते है, इसलिए उसके साथ हमारे वही नियम होगें जो पशुओं के साथ हमारे नियम होते हैं।

तो एक बच्चे को कुछ भी करने की छूट नही दी जा सकती, क्योंकि न तो उसने उस काम को करने का ज्ञान प्राप्त किया है न वो वयस्क है। तो समाज का उस पर नियंत्रण रहेगा, और क्योंकि वो अपने माता- पिता पर आश्रित है, और उसके माता- पिता समाज पर इसलिए सभी की सहमती से बच्चों के

लिए जो नियम बनेगें उन्ही का पालन करना होगा, उस बच्चे की परवरिश में व अधिकार देने में, उसे शिक्षा देने में।

इसी प्रकार सार्वजनिक रुप से भी कोई व्यक्ति कुछ भी नही कर सकता। कुछ चीजों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर अबोध बालक भी होते हैं। अभी उन्हें शिक्षा लेनी बाकी है। उन पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, जहाँ यदि दूसरे व्यक्ति की इच्छा हो, तो वो जाएं और यदि न हो तो उसे भी स्वतंत्रता हो कि जबरदस्ती उसे वह सब न देखना, सुनना व करना पड़े जो वो नही चाहता।

अब इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए कि कौन सी चीज सार्वजनिक रुप से की जाये और कौन सी नही? क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो एक वर्ग करना चाहता है, दूसरा नही। जैसे एडल्ट मूवी देखना। कपड़े- पहने के तौर तरीके, जिसपर आजकल काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। मिनी या मिडि पहनना चाहिए या नही। अपने स्तन का प्रदर्शन जो वो कर रही है वो करना चाहिए या नही। ज्यादातर लड़कियाँ ऐसा करते समय स्वतंत्रता की परिभाषा तो याद रखती हैं, पर सामाजिक समझौते की परिभाषा भूल जाती हैं। तो ऐसी दुविधा की स्थिति में ऊपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए इसका निर्धारण समाज द्वारा बहुमत से किया जा सकता है। यदि बहुमत व अल्पमत में थोड़ा ही अन्तर हो या अल्पमत अधिक छोटा न हो तो दोनों को छूट दी जा सकती है, ये चीजें समाज पर ही निर्भर करेगीं न कि किसी एक व्यक्ति की सोच पर।

अब ये कहा जा सकता है कि जब कोई नया विचार आता है तो वो अल्पमत में ही होता है और वह अल्पमत तो बहुत ही छोटा होता है। जबकि यह जरुरी नही कि बहुमत हमेशा ही सही हो। तो ये सही है कि बहुमत सर्वथा सत्य नही हो सकता। इस स्थिति में अल्पमत को सिर्फ सार्वजनिक रुप से वो काम करने की मनाही है। यदि वह उसे सार्वजनिक बनाना उचित समझता है तो वह अपने विचारों के माध्यम से बहुमत तैयार करे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहीए। विचारों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबन्ध नही होना चाहिए। विचार यदि भाषण या प्रदर्शन द्वारा व्यक्त किये जा रहे हो तो उसका स्थान निश्चित हो, किसी भी स्थान पर कोई भाषण नही दे सकता। अन्यथा विचारों को पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त करना सवार्धिक उपयुक्त है। आज तो विचारों को व्यक्त करने का इंटरनेट भी एक उचित माध्यम मिल ही गया है।

तो कोई पढ़ा लिखा वयस्क यदि नंगा होकर घूमना चाहे तो, क्या उसे ये छूट दी जा सकती है? स्वतंत्रता की इस परिभाषा के अनुसार यदि वो अकेले ऐसा कर रहा है तो उसे छूट मिलनी चाहिए। पर यदि सार्वजनिक रुप से कर रहा है तो वो समाज पर निर्भर करेगा। यहीं पर रुसों की सामाजिक समझौते की थ्यौरी काम करती है कि जब हम समाज बनाते है, वो हमारी सुरक्षा के लिए होता है। समाज से अलग होकर कोई व्यक्ति रहेगा तो वो समाज से किसी भी स्थिति में फिर मदद की उम्मीद नही कर सकता। तो जब समाज में कोई व्यक्ति रहता है तो उसे अपने स्वंतत्रता से समझौता करना पड़ता है। और वो समाज ही सबसे अच्छा समाज होगा, जहाँ समझौते कम से कम करने पड़े। तो कई चीजों के करने पर समाज आप पर नियंत्रण लगा सकता है। समाज धीरे- धीरे हजारों साल में डेवलप हुआ है इसलिए उसके पास

बहुत से अन्य बंधन भी है, उसके पास गलत नियमों का पालन करने के भी कई कारण हैं। वो अन्य कसौटियों पर देखकर भी किसी चीज को इजाजत दे सकता है, इसीलिए किसी कार्य को सार्वजनिक रुप से करने या न करने में समाज की स्वीकृती भी आवश्यक हो जाती है। इसिलिए किसी चीज को जो अल्पमत में हैं करने की लिए हमें समाज में सहमती बनानी होती है। पहले समाज में ये पद धर्म निभाता था, आज कानून निभाता है। धर्म उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, जो लोग धर्म से ज्यादा चिपके हुए हैं, लेकिन अब वो पुराना हो चुका है। हमें इसलिए धर्म से बाहर निकलकर, किसी देश का कानून जो करने की इजाजत देता हो वो हम कर सकते हैं। इसलिए समाज की इजाजत हर उस जगह पर आवश्यक है जहाँ हम कोई कार्य सार्वजनिक रुप से करते हैं। सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करते हैं।

लिव इन रिलेशन शिप - स्वतंत्रता की इस परिभाषा के अनुसार तो सही है, पर तभी आप कर सकते हैं, जब आप दोनों आत्मनिर्भर हों, यदि आप माता- पिता के ऊपर निर्भर हैं, तो उनकी इच्छाओं का पालन करना आपका कर्तव्य है, फिर उनकी इजाजत जरुरी है। आत्मनिर्भर न होने की स्थिति में पुरुष द्वारा उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देने की स्थिति में वो घाटे का या धोखे का अनुभव कर सकती है।

पहनावा या अंग प्रदर्शन - एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या पहने और क्या न पहने? स्वतंत्रता की परिभाषा से जब तक इस सवाल का जवाब नही दिया जायेगा वो परिभाषा अधूरी ही रहेगी। इस सम्बन्ध में जान लाक की परिभाषा देते समय ही स्वतंत्रता की परिभाषा की कसौटी पर इसे कसा जा चुका है, जिसके अनुसार ऐसा करना सही है। पर उसे समाज में अपनाया जा सकता है या नही उसके लिए बहुमत या सामाजिक समझौते को मानना पड़ेगा। फिर भी अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा पर भी इसे कसता हूँ।

कई लोग कहते हैं लड़के और लड़कियाँ समान हैं। मगर मेरा ये मानना है कि ये दोनों समान नही हैं। प्रकृति ने ही स्त्रियों को पुरुषों से अलग बनाया है। हाँ हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को उनके विकास के लिए आवश्यक नागरिक अधिकार दिए जाएं। अब अगर समान नागरिक अधिकार दिए गए तो स्त्रियॉ भी ये कहेंगी कि अगर लड़के शर्ट उतार कर घूम सकते हैं तो हम भी घूम सकते हैं। इस तरह तो आजकल जो माडल्स, अभिनेत्रियाँ लगभग अपने अर्ध स्तन की नुमाईश कर रही है वो गलत नही हैं, यदि वो कपड़े उतार कर भी समाज में घूमें तो गलत नही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा लड़के कर सकते हैं, उन्हें छूट है तो लड़कियों को भी छूट होनी चाहिए, यदि हम समान नागरिक अधिकार की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि लड़के बिना चढ्ढी के नही घूम सकते, इसलिए इतनी मर्यादा लड़कियों के लिए भी आवश्यक है। वो भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नही घूम सकतीं। और इसी तर्ज पर आज लड़कियों को भी छूट है।

अर्थात यदि हम पुरुषों को इजाजत देते हैं कि वो बिना बनियान के घूम सकते हैं तो स्त्रियाँ भी बिना ब्रा के घूम सकती हैं। यदि हमने पुरुषों को इजाजत दी कि वो बिना चढ्ढी के घूम सकते हैं नग्न घूम सकते हैं, जो कि हाँलाकि अभी नही है, तो हमें स्त्रियों को भी इजाजत देनी होगी ।

या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यदि आप हर चीज पुरुषों के बराबर मांग करेंगी तो उन्हीं के बराबर आपको जिम्मेदारियाँ भी उठानी होगीं, व उन्ही के समान अन्य सामाजिक नियमों को भी मानना

होगा। फिर औरतों के लिए बस में अलग सीट की मांग, आरक्षण इत्यादि की मांग आप नही कर सकतीं। भीड़ में किसी तरह की रगड़ लग जाने पर आपको भी पुरुषों के समान ही रियेक्ट करना होगा। एक वर्ग ये कह सकता हैं कि क्योंकि प्राकृतिक रुप से ही लड़के और लड़कियाँ अलग- अलग हैं, वो समान नही हैं। उनके तीन गुप्त अंग होते है, और पुरुषों के दो, जैसा कि समाज मानता है और लड़कियाँ भी मानती है। क्योंकि यदि ऐसा नही होता तो पुरुष के सीने पर कोई हाथ रख दे तो बुरा नही मानते, लेकिन लड़कियों के रख दे तो उन्हें बुरा लगता है। मर्द तो नही कहते पर सर्वाधिक मार्डन लडकियॉ आज भी मीटू मीटू करती है। इसलिए उन्हें अपनी मर्यादा माननी होगी और पुरुषों को अपनी। इसलिए भरे समाज में वो इन गुप्त अंगों की नुमाईश नही कर सकतीं, जैसे पुरुष अपने गुप्तांग की नुमाईश नही कर सकता। इस तरह से उनके लिए थोड़ी एक अलग रुप रेखा ही खींचनी पड़ जायेगी, दोनों के अलग- अलग अधिकारों की। ऐसे ही कुछ एक जगह अलग रुप रेखा खींचने की जरुरत पड़ सकती है, स्त्रियों और पुरुषों के अधिकारों के सन्दर्भ में। इसिलिए 90 से 95 प्रतिशत छूट की बात कही गई।

फिर हम ये जानते हुए भी कि महिलाएं व पुरुष दो अलग अलग प्राणी हैं हम उनकी समानता की बात क्यों करते हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि महिलाएं व पुरुष समान हैं, क्या हम सारी महिलाओं को इस तरह पुरुष बनाने की कोशिश नही कर रहे हैं। हम ये क्यों नही कहते कि सभी को सही व जरुरी सामाजिक अधिकार मिलने चाहीए। ये मागं करना जायज लगता है, लेकिन ये कहना कि पुरुष व महिलाएं एक समान हैं, बराबर है उतना उचित नही लगता। अगर ऐसा हुआ तो जहाँ भी जो मान्यता समाज, स्त्री व पुरुष को देगा, उसे मानना पड़ेगा और वो सही होगा। इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कि दोनों को स्वतंत्रता अधिक से अधिक मिले, इस स्थिति में जेंडर इनइक्वलटी के नाम पर औरतों के कुछ एक अधिकार काटे जा सकते हैं। इसीलिए आज के सन्दर्भ में मैने कहा कि हम एक ऐसे समाज की सम्भावना ज्यादा है, जो पुरुष प्रधान हो, पर जहाँ औरतों को बराबर नही, लगभग बराबर अधिकार प्राप्त हों। और ये सम्भव है क्योंकि जहाँ कहीं भी ऐसा पसोपेस हो वो तय हो पायेगा मतदान से। क्योंकि हम मतदान द्वारा चीजों को तय करेगें तो 50 प्रतिशत वोट तो उनके हैं हीं। वो कपड़े पहनने के तौर तरीकों पर बहुमत बना सकती हैं।

न जाने हम क्यों लड़कियों को लड़कों के समान बनाना चाहते हैं। वो दो अलग आईडेंटीटी हैं उन्हें दो अलग आईडेंटीटी ही बना रहने देने में क्या बुराई है? स्त्रियों को पुरुष की चाहत है, पुरुषों को स्त्रियों की क्योंकि दोनों का आकर्षण विपरित आईडेंटीटी के कारण ही है। क्या अच्छा लगेगा कि स्त्रियाँ भी बाल कटा कर, सिक्स पैक बनाकर सभी कुछ आदमियों जैसा अपना कर आदमी जैसी बन जायें,उनके जैसी दिखाई दें? क्या उनके प्रति फिर वो आकर्षण रह जायेगा? या पुरुषों के समान होने पर क्या वो पुरुषों के प्रति वो आकषर्ण रख पायेंगी जो आज विपरित आईडेंटीटी होने पर होती है। ब्रिटेन में तो शब्दों को ही बदल दिया जा रहा है। ब्रेस्ट शब्द उन्होने हटा दिया है अब वो स्त्रियों के सीने को भी चेस्ट कहते हैं, जब कि दोनों अलग दिखने व काम की चीजें है, यदि उन्हें दो अलग शब्दों से पहचाना जाता है तो क्या बुराई है। कुछ दिनों में वो वोमेन को मेन कहने लगेगें। शायद अपनी डिक्शनरी में से वो सारे लिंगवाचक शब्दों को हटा दें। स्त्रियों को पुरुषों के समान बनाने का ये दृष्टिकोण मेरी दृष्टि में उचित नही है। हम उन्हें पुरुषों जैसा न बनाएं, ये एक दूसरे के पूरक है, जो कमियाँ पुरुषों में हैं, उसे स्त्रियाँ पूरी करती हैं, जो स्त्रियों में

कमियाँ है, वो पुरुष पूरा करते हैं, यहीं उनके आकर्षण व बन्धन का कारण है। हम स्त्रियों को उनकी सुरक्षा व विकाश के सारे अधिकार दें, जिससे वो अपनी सुरक्षा व विकाश सुनिश्चित कर सकें, जिससे उनका एक्सप्लायटेशन रोका जा सके। पर उन्हें पुरुष न बना दें।

पश्चिमी समाज में भी एक तरह की साजिश चल रही है, स्वतंत्रता के नाम पर, पुरुषों से बराबरी के नाम पर महिलाओं के कपड़े उतारने की। जिसे महिलाएं समझ नही पा रही हैं। स्वतंत्रता के नाम पर , आजादी के नाम पर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। क्योंकि वो उनको अभी नई नई हासिल हुई है। नही तो पुरुष और स्त्रियाँ बराबर ही हैं तो वो भी वही कपड़े पहने जो पुरुष पहनते है, वैसे ही हेयर कट रखें। मगर ऐसी कार्यवाई नही होती, सिर्फ कपड़े उतारने में उन्हें पुरुषों के बराबर होना चाहीए। अगर ऐसी साजिश नही है तो लड़के टेनिस खेलते हैं तो पैंट पहन कर,उनकी चढ्ढी नही दिखाई देती, लेकिन लड़कियाँ खेलती है, तो स्कर्ट पहन कर, जिससे उनकी पैंटी दिखाई देती रहे। अगर खेल के लिए सही कपड़ो की जरुरत है तो लड़कियाँ भी तो पैंट पहन कर खेल सकती है। अगर साल्सा करना है, तो लड़कियाँ अर्धनग्न नजर आयेंगी और लड़के पूरे कपड़ों में। आज तो अंग प्रदर्शन लड़के उतना नही कर रहे हैं, जितनी लड़कियाँ कर रही है, यहीं उन्हें सारी आजादी दिखाई दे रही है। कपड़े ऐसे पहनो जैसी जरुरत हो और जो पहनने में आपके लिए कर्म्फटेबल हो। लेकिन आधा स्तन दिखाई देता रहेगा, आधा वो बचाने के लिए बार.बार अपनी पोशाक ऊपर करती रहेगीं, लेकिन यदि इसपर सवाल जवाब आपने कर लिया तो फिर वो उनकी माडेस्टी पर हमला हो जायेगा। फिर बराबरी करनी है पुरुषों की तो उसक आधे के लिए भी परेशान क्यों हैं, फिर जैसे पुरुष अपने पूरे सीने को दिखाने में परहेज नही करते, स्त्रियों को भी नही करना चाहीए। फिर उन्हें भी अपने पूरे स्तन का प्रर्दशन कर देना चाहीए। लेकिन अगर आपने ये बात उन्ही माडलसॅ व अभिनेत्रियों से पूछ ली तो फिर ये उनकी मॉडेस्टी पर हमला हो जायेगा। वर्ना उसके पहले तक वो जितना प्रदर्शन करें, उसके लिए वो आपको स्वतंत्रता की परिभाषा बताती रहेगीं। वास्तव में ऐसा करने वाली सभी माडलॅ व अभिनेत्रियाँ पैसों के लिए अपने जिस्म का प्रदर्शन करती हैं, वॉडड्राब माल्फंसन कितनी ही स्थितियों में जानबूझ कर कराया जाता है, और स्त्रियां पैसों के लिए ऐसा करती हैं, स्वतंत्रता के लिए नही। नंगे होना वोमेन इम्पावरमेंट को नही र्दशाता। यदि आप स्वतंत्रता के लिए नंगे हो रहे हैं, तो वो सही है। लेकिन यदि आप पैसों के लिए नंगे हो रहे हैं, तो उसके लिए स्वतंत्रता या वोमेन इम्पावरमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग मत किजीए, क्योंकि आप वैसा कर नही रहे हैं, यदि आप ऐसा कर रहे होते, तो बिना पैसे लिए आप आम लोगों के बीच भी नंगे हो जाते, जैसा कि विदेशों में कई मामले देखे गए हैं। इसलिए उन सभी से, और समाज में उपस्थित सभी से मेरा यही कहना है, जब भी हम सार्वजनिक रुप से किसी चीज को करने की बात करते हैं, तो उस समय स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समझौते को भी जरुर याद रखें। यही वो नियंत्रण है, जो स्वतंत्रता को स्वच्छदता में परिवर्तित होने से रोकता रहेगा।

बेहतर यही है कि समाज एक मानदण्ड सभी की सहमती से स्थापित कर दे कि पुरुष या स्त्रियाँ किस हद तक आम लोगों के बीच अंगप्रदर्शन कर सकती या सकते हैं। इसलिए मैनें कहा कि जहाँ दोनों ही स्थितियाँ सही लगती हो, पर समाज जिसके लिए तैयार न हो, वहाँ बहुमत से इस बात का निर्धारण

किया जाए कि क्या अपनाया जा सकता है और क्या नही? इसलिए बन्द कमरे में आप कैसे भी रहीए, इण्टरनेट पर आप अपनी कैसी भी तस्वीरें पोस्ट किजीए यदि उसपर सेंसर का टैग लगा हो, पर समाज में सार्वजनिक स्थलों पर पहनने के लिए आपको समाज की स्वीकृती व इजाजत चाहिए। इसलिए सड़क पर आप नंगे नही चल सकते यदि समाज या कानून आपको इजाजत न देता हो, यदि देता हो तो आप वो भी कर सकते हैं।

सेन्सरशिप - सेन्सरशिप होना चाहिए या नही । कई माडल्स और अभिनेत्रियॉ रिवीलिंग कपड़े पहने अचानक टीवी पर सामने आ जाती हैं और हम घरों में बैठकर अपने पैरेंट्स के साथ देखने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि कोई सेंसर इस पर कार्य नही कर रहा है। कुछ लोग कहेगें कि मन में तो आप के भी होता है, उन्हें इस तरह से देखना, पर उन्हें न देखना चाहने का दिखावा करते हैं। ठीक है मान लिया, उन्हें इस तरह देखना अच्छा लगता है, पर पैरेन्ट्स के साथ हम उन्हें इस तरह नही देखना चाहते। तो इस स्थिति के लिए क्या व्यवस्था है।

मेरे ख्याल से सेन्सरशिप छँटनी करने के लिए नही, बल्कि टैग लगाने के लिए होना चाहिए। इन्टरनेट पर व किसी भी ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति अपनी मर्जी से जाए वहॉ आप जो चाहे वो किजीए। इंटरनेट पर आप कैसी भी फोटो भेज सकते हैं बस अगर उस पर सेंसर का टैग लगा हो, ताकि वही वहाँ जाए जो वयस्क हो और जाना चाहता हो, हर कोई बाध्य न हो या अंजाने में कोई ऐसी चीज उसके सामने ना आ जाए जो वो न देखना चाहता हो।

अक्सर देखने में आता है कि हम सेंसर जो फिल्मों के लिए बने हुए हैं, उनकी आलोचना की जाती है। क्या ये सेंसर जरुरी हैं? तो मुझे लगता है न सिर्फ फिल्मों के लिए, बल्कि किताबों, इन्टरनेट व टी. वी या अन्य सभी दृश्य व श्रव्य मिडिया के लिए भी सेंसर होना चाहिए, लेकिन उस सेंसर का काम किसी कन्टेंट को काटना नही होना चाहिए, बल्कि हर एक कन्टेन्ट के लिए एक टैग लगाने का काम करना चाहिए। जैसे किताबें ही कोई एडल्ट हैं तो उसे 'ए' टैग देना चाहिए। इससे व्यक्ति को पता हो कि वो क्या पढ़ने जा रहा है। तो किसी किताब में यदि गाली ही गाली लिखी रहेगी तो इस सेंसर टैग से उसे पता चल जायेगा कि अन्दर उसे किस तरह की भाषा पढ़ने को मिल सकती है।

हाँलाकि भविष्य जो दिखाई दे रहा है वो इस सन्दर्भ में पूरी तरह से मुक्त होने का दिखाई दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदत डाली जा रही है, व्यक्ति को पूर्ण नग्न देखने की। क्योंकि हजारों सालों से हमने ऐसा नही किया है इसलिए इस आदत के पड़ने में कुछ पीढ़ीयाँ लगेंगी। एक बार ये आदत पड़ गई तो फिर किसी सेंसर की जरुरत नही पड़ेगी। वही चीजें जो आज जिस्म की नुमाईश लग रही है, कल ठीक लगने लगेंगी। जैसा मैने पहले कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता के उपभोग के लिए जरुरी है कि लड़कियाँ लज्जा रुपी वस्त्र को उतार फेंके। इस तरह की प्रक्रियाएं या शारिरिक प्रदर्शन उसी वस्त्र को उतार फेंकने की है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब सभी स्त्रियाँ निर्वस्त्र हो जायेंगी, तो इज्जत लुटने का जो डर है वो समाप्त हो जायेगा, और ये स्थिति उनकी तरक्की व उनके पुरुषों के समान आने की जद्दोजहद मे बड़ी सहायक होगी।

परतंत्रता या बंधन की जरुरत - परतंत्रता या जिसका सुधरा हुआ रुप बंधन है, वो भी एक हद तक जरुरी होती है। परतंत्रता भी अच्छी है जैसे कानून को मानने की परतंत्रता। अगर बॉस नही होगा, तो काम ही नही होगा, या सुचारु रुप से नही होगा। इसलिए उतनी परतंत्रता जरुरी है। कानून की परतंत्रता, माता- पिता की आज्ञा की परतंत्रता, समाज की परतंत्रता। वो आपको बांधे रखती है। स्वतंत्रता के साथ थोड़ी मात्रा में इसका समिश्रण लाभप्रद है।

स्वतंत्रता के मैक्सिमम हद का उपभोग आप आत्मनिर्भर होकर, अकेले रह कर ही कर सकते हैं। यदि आप शादी करते हैं तो आप दो लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करते हैं। फिर आपको शादी रहने तक, उन समझौतों का पालन करना चाहिए। यदि नही कर सकते तो तकरार की स्थिति में तलाक बेहतर उपाय है। समझौते जो विवाह के समय अग्नी के फेरे लेते हुए किए जाने के वादे के साथ होते हैं। यदि आप उनसे सहमत नही हैं तो बेहतर है वो दो व्यक्ति जो शादी के बन्धन में बंध रहे हैं, पहले से ही अपनी शर्तो पर समझौते कर लें।

काश्मीर समस्या . आज कुछ एक लोग कहते हैं, काश्मीर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। मेरा मानना है कि न सिर्फ भारत बल्कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में यदि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, समानता का व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ के किसी एक टुकड़ को स्वतंत्रता की आवश्यकता ही नही है। स्वतंत्रता की जरुरत तब है जब आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा हो, जब वही कानूनी अधिकार जो दूसरे नागरिकों को प्राप्त हैं आपको न प्राप्त हों। जब आपको मत देने का अधिकार न हो। भारत ने इसीलिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, क्योंकि यहाँ के लोगों को मत देने का अधिकार नही था, नही तो उन्ही की सरकार बनती, उनके ऊपर सात समुन्दर पार की थोपी हुई सरकार थी। इसलिए जो लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कश्मिर के स्वतंत्रता की तुलना करते हैं, वो परख सकते हैं कि वो कितने सही हैं। अगर धर्म के नाम पर स्वतंत्र करना हो तो फिर तो न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के कितने ही देशों के कितने ही टुकड़े हो जायेगें, तब तो आशाराम बापू, बाबा राम रहीम और राधास्वामी जैसे प्रचारकों के लिए भी जमीन के टुकड़े करने पड़ेगे। फिर भाई भाई के लिए जमीन के टुकड़े क्यों नही किए जाने चाहीए। इस तरह से स्वतंत्रता के नाम पर कितने टुकड़े जमीन के करेगें। इस तरह से अलग अलग मुद्दो पर, अलग अलग कारणों के लिए लोग हमेशा जमीन के, देश के टुकड़े करना चाहेगे। तो कहीं न कहीं तो हमें समझौता करना ही होगा, अपनी स्वतंत्रता से। हमें ये समझना होगा कि स्वतंत्रता कहाँ सही है किस हद तक सही है। कब वास्तव में किसी देश का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सही है। इसलिए मैं कैंटेलोनिया या स्काटलैंड जैसे देशों की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे संघर्ष व उनके अलग होने की प्रक्रिया का विरोध करता हूँ, इसे गलत मानता हूँ। ये स्वतंत्रता का अतिवाद है, जो भविष्य में आगे बढ़कर हमें स्वछंदता तक ले जायेगा। और पूर्ण स्वंछदता हम नही चाहते, क्योंकि वही जंगल राज है और जहाँ से हम बड़ी मुश्किलों से निकल आये हैं, वहीं लौट कर फिर हम नही जाना चाहेंगें। इन्ही कारणों से हम शायद कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे लोगों को सेपरेटिस्ट करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी नही। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हे स्वतंत्रता की परिभाषा तक नही पता है, नही तो वो अपनी औरतों को भी स्वतंत्रता देने की बात कहते। अपनी आधी आबादी को तो उन्होनें गुलाम बना रखा है, और जमीन के

संदर्भ में बातें वो स्वतंत्रता की करते हैं। इसलिए कश्मीर की समस्या इस्लामिक कट्टरपंथ की समस्या है स्वतंत्रता की समस्या नही है।

जमीन की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहीए इस समस्या का समाधान जमीन के प्राकृतिक बटँवारे में है, जिसकी परिकल्पना मैने अपनी पुस्तक एनिमल रेवलूशन में दी है।

शराब पीना - इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि दोस्तों को घर पर लाकर शराब पीता है, जुआं खेलता है, सारा पैसा इसी में उड़ा डालता है तो उसे ये सब करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नही? क्योंकि उसने शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, और अपने पैसे से कर रहा है, इसलिए दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा भी नहीं डाल रहा है, तो मैं कहूंगा जब आप अकेले हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और आज का समाज भी आप को ऐसा करने से नही रोक पाता या रोकता। लेकिन जब आप शादी करके अपनी पत्नी को घर पर लाते हैं, उसको परिवार घर छोड़कर आना पड़ता है, आप एक समझौते के तहत शादी करते है कि आप उसका ध्यान रखेंगें। उस समझौते के तहत आप दोनों अपनी स्वतंत्रता का त्याग करते हैं। एक दूसरे की कुछ स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध सा लग जाता है। तो जब आप अपनी पत्नी को ये अधिकार नही देते कि वो कुछ भी कर सके तो आपको खुद भी उसकी इच्छा का ध्यान रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। इसलिए घर में शराब पीने, जुएं में पैसा उड़ा कर परिवार का ध्यान न रखने की स्थिति में यदि आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को आपत्ति होती है, तो आपको ये स्वतंत्रता नही दी जा सकती। इसलिए मैनें प्रतिबन्ध लगाया कि वह व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित बनाए व्यक्ति (की स्वतंत्रता) का ध्यान रख रहा हो। अगर मियाँ बीबी दोनों राजी हैं तो आज भी आप ऐसा करते हैं और आपको कोई नही रोक पाता।

आत्महत्या - यदि कोई व्यक्ति नशे में, क्रोध में या अशिक्षा की स्थिति में या वयस्क न होने तक आत्महत्या कर रहा है तो गलत है। लेकिन पूरे होशो हवाश में वयस्क होने के बाद कर रहा है तो सही है। आप कह सकते हैं कि कोई पढ़ा- लिखा व्यक्ति यदि एक वयस्क, 18 वर्ष के बाद या मत का अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद, आत्महत्या की कोशिश करे तो क्या उसे आत्महत्या की छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि इस समय तो उसने शिक्षा भी प्राप्त कर ली है और दूसरों की स्वतंत्रता में वो बाधा भी नहीं पहुँचा रहा है, और अभी तक उसने अपने ऊपर किसी को आश्रित भी नही बनाया है। तो मैं कहूँगा कि यदि वो क्रोध में आत्महत्या करने जा रहा है या नशे में आत्महत्या करने जा रहा है तो उसे आत्महत्या की छूट नही देनी चाहिए । क्योंकि क्रोध व नशे में आदमी विवेकशून्य हो जाता है, इसलिए उसे उस समय रोक कर समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए की ऐसा करने से क्या हानियाँ हैं। लेकिन यदि कोई अकेला व्यक्ति शान्त दिमाग से पूरे होशोहवास में आत्महत्या करना चाहता है तो उसे ये स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति, जिसका पैर और हाथ कट गया है, दूसरे के ऊपर वो आश्रित है। खुद भी परेशान है और दूसरे भी उससे परेशान हैं। अपनी परेशानियों से तंग आकर अगर वो शांत दिमाग से आत्महत्या करना चाहता है, क्योकिं अब तो वो सिर्फ बोझ बन गया है, अपना विकास तो वो अब कर नहीं सकता। अपनी वजह से दूसरे का भी विकास, जिसके ऊपर वो आश्रित है, अवरुद्ध कर रहा है, तो यदि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करना चाहे तो मैं उसे पूरी छूट दूंगा।

जो लोग ये सोचते हैं आत्महत्या करना गलत है, वो सिर्फ खयालों में ही परेशानियों को सोच सकते हैं । उन्हें पता नही है कि जिन्दगी कितनी जालिम हो जाती है, या किसी को कितना मजबूर कर देती है कि वो विवश हो जाता है आत्महत्या करने के लिए ।

सिर्फ परेशानियाँ ही नही। कुछ बहुत ही साधारण स्थिति में भी यदि व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो अचम्भे जैसी कोई बात नही है। इसीलिए मैने अपने स्वतंत्रता सम्बन्धी व्याख्या में एक व्यक्ति को वयस्क हो जाने के बाद पूरे होशो हवास में आत्महत्या करने की पूरी छूट दी है।

आत्महत्या एक तरह से यदि कोई ईश्वर है तो उसके प्रति विद्रोह है। हजारों प्रकार के भोजन हैं पर आप खा नही सकते, रोज वही नमक रोटी खाना है। लाखों सुविधाएं हैं, पर आप उन्हें भोग नही सकते, उसी छे बाई चार के उमस भरे कमरे में जिन्दगी गुजारनी है। लाखों औरतें है पर उसी बदसूरत से चेहरे के साथ ताउम्र रहना है। बार बार लगातार रोज रोज वही जिन्दगी। मजबूर जिन्दगी , लाचार जिन्दगी। तो यदि आपको वही नीरस जिन्दगी रोज जीना है इससे तो अच्छा ही है आत्महत्या कर लेना, ईश्वर के प्रति विद्रोह कर देना कि रखो अपनी जिन्दगी अपने पास। कम से कम कुछ और बुरे दिन भोगने से बच जायेगें।

हमें सुख मिलता किन चीजों से है, जो हमारी ज्ञानेन्द्रीयाँ है उनसे। ये ज्ञानेन्द्रीयाँ है नासिका, कान, जीभ , आखँ, त्वचा और लिंग। अब इनमें से ज्यादा तर लोगों के पास चार ज्ञानेन्द्रीयों के सुख हैं वो है नासिका, कान, आखँ व त्वचा या स्पर्श का सुख । अब जिनके पास इनमें से कोई सुख नही है। उनके लिए तो जीवन का अर्थ ही क्या। फिर क्यों नही उनके लिए आत्महत्या कर लेना उचित है। रोज रोज के कष्ट सहने से तो अच्छा ही है।

इसलिए मैने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने की छूट तभी है जब उसे उस विषय का ज्ञान हो। इसलिए 72 साल के बाद मैने आत्महत्या करने की छूट भी दी है। इस प्रकार मैं स्वइच्छा मृत्यु के पक्ष में हूँ। लेकिन क्योंकि कोई इस स्वइच्छा मृत्यु का गलत फायदा भी उठा सकता है, इसलिए ऐसी मृत्यु न्यायालय के सामने ही होनी चाहिए। अन्ततः यदि कोई आत्महत्या करना चाह ही लेगा तो क्या कोई उसे रोक सकता है?

<u>आवाज की लिमिट</u> - दृश्य व ध्वनी ऐसी चीजें हैं, जिसके सन्दर्भ में हर कोई कह सकता है कि उसे अमुक चीजों से परेशानी है, और ये भी कह सकता है कि उसे परेशानी नही हैं। तब निर्धारण किस तरह से किया जाए? एक सवाल उठा है कि अजान देना चाहिए कि नही? अगर अजान को रोकते हैं तो आरती को भी रोकना होगा, और आवाज से अगर परेशानी है तो फिर ट्रक, टैम्पों, इत्यादि इतने वाहनों की आवाज को कैसे रोकेंगें? इसीलिए जब कि दोनो स्थितियॉ सही हैं या गलत हैं तो समाज बहुमत से जिसकी परिणती कानून है ये निर्धारित करता है कोई चीज कितनी मात्रा में किस हद तक किया जाए। इसीलिए समाज ने एक कानून बनाया कि एक निश्चित डेसीबल (आवाज को मापने की ईकाई) तक की आवाज, एक निश्चित समय तक की जा सकती है। तो यदि अजान उस समय सीमा में, निश्चित डेसिबल की आवाज के साथ हो रही है, तो वो हो सकती है। यदि कोई भी आवाज इस समय व सीमा को तोड़ती है तो वो प्रतिबन्धित की जा सकती है, फिर वो अजान हो या आरती। जैसा कि आजकल दिवाली या

अन्य मौकों पर पटाखों की आवाज के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है। हाँलाकि साल में एक आध दिन समाज की स्वीकृती व इच्छा को देखते हुए साधारण नियमों से हटकर भी छूट दी जा सकती हैं, पर निर्भर ये समाज पर ही करेगा कि किस चीज को कब कितनी छूट देनी है।

वेश्यावृती - वेश्यावृती की परिभाषा क्या है? जो भारतीय समाज में मान्य परिभाषा है कि यदि पैसों के लिए एक स्त्री अपने शरीर का उपभोग एक से अधिक व्यक्ति को करने देती है या उसके साथ सेक्स करती है, वो वेश्यावृती है। भारतीय समाज ने पुरुष के लिए भी ऐसे कार्य के लिए एक शब्द 'भड़वा' गढ़ा है, लेकिन क्योंकि उनके विरुद्व इसका इस्तेमाल कम होता है और वो इसे अपने लिए बहुत ज्यादा बुरा नही मानते, इसलिए ये शब्द उतना प्रभावी नही हो सका है। तो स्वतंत्रता की इस परिभाषा के अनुसार गलत है, तब तक जब तक इसमें औरतों को जबरदस्ती ढकेला जाता है, उनकी इच्छा के विरुद्व ढकेला जाता है, जबरदस्ती ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि कोई स्त्री पूर्ण वयस्क होने के बाद स्वेच्छा से वेश्यावृति अपनाती है तो इसमें कोई बुराई नही है। कम से कम भीख मांगने, चोरी करने, हत्या करने या असामाजिक तत्व बनने से तो बेहतर है वेश्यावृती करना। आज ऐसा कई लड़कियाँ कर रही है। कई देशों में स्वेच्छा से की गई वेश्यावृती को कानूनी मान्यता मिली हुई है। ऐसी कई माडल्स व अभिनेत्रियाँ आपको मिल जायेगीं । आप उन्हें आज इज्जत की नजर से देखते हैं, उनका साथ चाहते हैं। लेकिन उस स्थिति में ये आवश्यक होगा कि या तो आप जिसके ऊपर निर्भर हो उसकी इसमें सहमती हो, या फिर आप स्वमं आत्मनिर्भर हो किसी अन्य पर निर्भर न हो, अन्यथा आप जिस पर निर्भर हैं, उसकी बात आपको माननी पड़ेगी।

गे मैरिज - स्वतंत्रता की परिभाषा के अनुसार तो ठीक लगती है। शायद इसलिए लोग इसके एक्सेप्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए कुछ देशों में अपना भी ली गई है, क्योंकि इससे समाज में तीसरे किसी को कोई नुकसान नही है।

बुरका - कई जगह बुरका पहनने पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं, कई जगह इसे ही मान्यता दी जाती है। तो इसे पहनना सही है या गलत। बुरका पहनना गलत नही है यदि वो स्वइच्छा से पहना जाए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के पहना जाये। लेकिन ज्यादातर स्त्रियाँ इसे धर्म व अपने आस- पास के समाज के दबाव में पहनती हैं। पूरे शरीर में हमारा चेहरा ही ऐसा है, जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, हमारी पहचान कराता है। ये चेहरा भी ढक लेना न सिर्फ पहनने वाले के लिए व दूसरों के लिए भी कई तरह की दिक्कतें पैदा करता है बल्कि कई बार ये सुरक्षा के लिए भी खतरा बनने लगा है। असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा कर समाज को नुकसान पहुँचाते हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए वो खतरा पैदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाक जहाँ से वो साँस लेता है, मुहँ जहाँ से खाना खाता है, और आँखे जिससे वो देख सकता है, उन्हें किस तरह से ढक सकता है। यदि ऐसा करना सहूलियत भरा है तो स्वयं पुरुषों ने अपने ऊपर ऐसी पाबन्दियाँ क्यों नही लगा रखी हैं। इसलिए यदि कोई दबाव न हो तो कोई भी घूंघंट या नकाब नही पहनना चाहेगा। तो बुरका पहना जा सकता है, लेकिन घूंघट या नकाब यदि सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे हटाया भी जा सकता है।

वास्तव में बुरका शुरु कैसे हुआ? आपने आज भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में लड़कियाँ अपने पूरे शरीर को ढक कर स्कूटी ड्राइव करती हैं। यहाँ तक कि वो चेहरे को भी पूरा ढक लेती है, जिससे सूरज की तेज किरणों व धूल के कणों से उनकी सुरक्षा हो सके। तो जब लोग मध्य एशिया में या अरब देशों में रहा करते थे तो वहाँ तो लगातार आंधियाँ चलती थीं। सूरज की तेज किरणें वहाँ और भी ज्यादा त्वचा को नुकसान पहुँचाती थीं। तो शरीर को पूरी तरह से ढकना वहाँ जरुरत बन गई थी, इसीलिए बुरके का अविष्कार व चलन हुआ। बुरका पहनना वहाँ लाजमी हो गया था। इसीलिए वहाँ के पुरुष भी बुरके के समान ही किन्तु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। शुरु में ये लिबास एक जरुरत थी, लेकिन बाद में ये धर्म का प्रतीक बन गया। आज वो एक पहनावा न होकर धर्म को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया है। जरुरत न होने पर भी बुरका पहनना आवश्यक हो गया है। आज उसे धर्म से जोड़कर औरतों पर पाबन्दी की तरह चस्पा कर दिया गया है। कभी हिन्दू समाज ने भी मुस्लिम प्रभाव में घूंघट को अपना लिया था, पर शुक्र है कुछ एक जगहों को छोड़कर आज वो इस प्रभाव से मुक्त है। इसलिए धर्मान्ध न होकर यदि किसी लिबास की तरह बुरके को इस्तेमाल किया जाता है तो वो जायज है।

मांस खाना या पशुओं को गुलाम बना कर रखना - दोनों ही परिभाषाओं के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। जैसा व्यवहार हम पशुओं के साथ करते हैं, वैसा हम अपने साथ नही होने देना चाहते। दूसरा हम उनकी स्वतंत्रता का हरण कर रहे हैं। तो सही गलत की दोनों कसौटियों पर ये गलत सिद्ध होता है। गलत होने के बावजूद फिर भी समाज में मांस खाना व पशुओं को पालना क्योंकि समाज में ऐक्सेप्टेबल है तो वो हो रहा है।

अब आपके पास यदि इससे बेहतर परिभाषा हो तो उस कसौटी पर इस सिद्धान्त को कसते है। वर्ना जब तक हम इसे मनुष्यों पर छोड़ देते हैं कि वो अपने लिए स्वतंत्रता कि कौन सी परिभाषा चुनना चाहते हैं और उस कसौटी पर ये व्यवस्था खरी उतरती है या नही ।

- पुस्तक “स्टेप्स” से